

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-9(बजट)

सं०- 65 /2017/यू०ओ० 47/सात-न्याय-9(बजट)-2017-51(अ)/2007

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2017

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय विभाग के अधिकारियों एवं कैम्प कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न तिथियों में एवं अवकाश अवधियों में कार्यालय उपस्थित होकर देर रात्रि तक रुक कर महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों का सम्पादन किये जाने के निमित्त में 0 मोतीमहल फुड्स प्रा० लि०, 75-हजरतगंज, लखनऊ से मंगाये गये लंच पैकेट देयक से सम्बन्धित बिल सं- 219, दिनांक 25.03.2017 रू02711.25, बिल सं०-221, दिनांक 30.03.2017 रू09037.50, बिल सं०-223 दिनांक 31.03.2017 रू09037.50, बिल सं०-030 दिनांक 09-06-2017, रू04518.75, बिल सं०-031, दिनांक 09.06.2017 रू04518.75, बिल सं०-032 दिनांक 09.06.2017 रू09037.50, बिल सं०-033 दिनांक 09.06.2017 रू02711.25, बिल सं०-034 दिनांक 09.06.2017 रू01807.50, बिल सं०-035 दिनांक 09.06.2017 रू01627.75, बिल सं०-036 दिनांक 09.06.2017 रू02530.50, बिल सं०-037 दिनांक 09.06.2017 रू02530.50, बिल सं०-038 दिनांक 09.06.2017 रू02892.00, बिल सं०-039 दिनांक 09.06.2017 रू03615.00, बिल सं०-041 दिनांक 09.06.2017 रू01084.50, बिल सं०-043 दिनांक 09.06.2017 रू0903.75, बिल सं०-045 दिनांक 09.06.2017 रू0723.00, बिल सं०-044 दिनांक 09.06.2017 रू01084.50, बिल संख०-056 दिनांक 19-06-2017 रू01446.00 अर्थात कुल रू061,818.50/- जो मूलरूप में संलग्न है, की पूर्णांकित धनराशि रू061,818/- (रूपये इकसठ हजार आठ सौ अटठारह मात्र) का भुगतान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

" वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-5/2017/ए-1-133/दस-2017-10(26)/2016, दिनांक 15 फरवरी, 2017 के अनुसार निर्धारित प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी०डी०एस० कटौती का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा उपलब्ध कराने पर ही उक्त भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा । "

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014- न्याय प्रशासन- आयोजनेतर- 114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)- 04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता- 42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**सं0- 65 /2017/यू0ओ0 47(1)/सात-न्याय-(बजट)-2017 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 3- विशेष सचिव, न्याय-8(लेखा प्रकोष्ठ) अनुभाग, 30प्र0 शासन को देयकों की मूल प्रतियाँ संलग्न करते हुए आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया देयक धनराशि **रू061,818/- (रूपये इकसठ हजार आठ सौ अटठारह मात्र)** का भुगतान में0 मोतीमहल फूडस प्रा0 लि0, 75-हजरतगंज, लखनऊ के इलाहाबाद बैंक मेन ब्रांच हजरतगंज, लखनऊ के एकाउन्ट नं0- सीए/ 20038575240 – आई0एफ0एस0, कोड- इलाहाबाद 0210062 में कराने की व्यवस्था करें ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- में0 मोतीमहल फूडस प्रा0 लि0, 75-हजरतगंज, लखनऊ को इस अनुरोध सहित कि वे वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2017/ए-1-133/दस-2017-10(26)/2016, दिनांक 15 फरवरी, 2017 के अनुसार निर्धारित प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कटौती का प्रमाण पत्र न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे उक्त धनराशि का शीघ्र भुगतान किया जा सके ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग- 12 ।
- 7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्डबुक न्याय-9(बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।